अनुदान संख्या 94 - पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 94 - MINISTRY OF TOURISM

					कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
							(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**						
स्वीकृत -	Voted –						
मूल	Original	1166,75,00					
					1166,78,00	1110,09,18	-56,68,82
पूरक	Supplementary	3,00					
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year						56,56,21
पूंजीगतः	**Capital:**						
स्वीकृत -	Voted-				4,01,00	4,00,00	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year						शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	11000.00			
			..	..	..
पु.	R.	-11000.00			
मुख्य शीर्ष "3452"	Major Head "3452"				
पर्यटन	Tourism				
मू.	O.	80810.00			
पू.	S.	2.00	74251.29	74250.97	-0.32
पु.	R.	-6560.71			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	23000.00			
			35798.00	35797.09	-0.91
पु.	R.	12798.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	1100.00	143.00	142.24	-0.76
पु.	R.	-957.00			

(I) ₹11280.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹11230.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "सामान्य (पर्यटन) - प्रशिक्षण - आई एच एम एस/एफ सी आई / आई आई टी टी एम / एन सी एच एम सी टी को सहायता" - ₹950.00 लाख;

(ख) "सामान्य (पर्यटन) - संवर्धन और प्रचार - आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" - ₹750.00 लाख ; और

(ग) "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद /अवसंरचना का विकास" - ₹9300.00 लाख ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3452" - "सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश से होने वाली आय की वापसी के लिए प्रावधान" - ₹230.00 लाख भारतीय पर्यटन विकास निगम के

(I) Provision of ₹11280.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹11230.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "General (Tourism) – Training – Assistance to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" – ₹950.00 lakhs;

(b) "General (Tourism) – Promotion and Publicity – Domestic Promotion and Publicity including Hospitality"- ₹750.00 lakhs; and

(c) "Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits" – ₹9300.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3452" - "General - Other Expenditure - Provision for refund of disinvestment proceeds for ITDC" - ₹230.00 lakhs - due to non-

लिए विनिवेश से होने वाली आय की वापसी के कुछ विवादित और न्यायाधीन मामलों का निपटान न होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3452" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - अधिक राजस्व सृजनकारी परियोजनाओं को सहायता" - ₹1983.02 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में परियोजनाओं/प्रस्तावों के प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

(i) "पर्यटन महानिदेशालय" - ₹1113.29 लाख की बचत (₹2815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत में आनलॉइन अभियान विलम्ब से शुरू करने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय" - ₹152.67 लाख की बचत (₹3170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और छुट्टी यात्रा रियायत तथा शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "प्रशिक्षण - होटल प्रबंधन, भोजन प्रबंध प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान को अनुदान" - ₹433.20 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) होटल प्रबंधन संस्थान से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने, विस्तार संबंधी परियोजनाएं समाप्ति के चरण पर होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती होने के कारण हुई।

settlement of some disputed and subjudice cases of refund of disinvestment proceeds for India Tourism Development Corporation and reduction of provision at revised estimates stage.

(II) Under Major Head "3452" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Assistance for Large Revenue Generating Projects" - saving of ₹1983.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of less number of projects/proposals and reduction of provision at revised estimates stage.

(B) "General" –

(a) "Direction and Administration" –

(i) "Directorate General of Tourism" – saving of ₹1113.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2815.00 lakhs) was due to delay in commencement of online campaign in India and reduction of provision at revised estimates stage.

(ii) "Tourist Offices Abroad" - saving of ₹152.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3170.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims for reimbursement of leave travel concession and tuition fee.

(b) "Training – Grants to Institutes of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition" – saving of ₹ 433.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 550.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Institute of Hotel Management, expansion projects being at the stage of completion and reduction of provision at revised estimates stage.

(ग) "संवर्धन और प्रचार - प्रत्यक्ष व्यय" - ₹4320.34 लाख की बचत (₹34275.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत/विदेश में मीडिया अभियान क्रियाकलापों के शुरू होने में विलम्ब होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) "अन्य व्यय - आवास संरचना को प्रोत्साहन" - ₹199.20 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा "पूंजीगत प्रोत्साहन" की संशोधित स्कीम को अनुमोदन प्रदान न करने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यटन (सामान्य) - संवर्धन और प्रचार - प्रत्यक्ष व्यय" - ₹137.25 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गन्तव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास" - ₹887.76 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियों की निर्मुक्ति के लिए कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई ।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹73.58 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹988.44 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3452" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास" - ₹900.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹898.54 लाख था।

(c) "Promotion and Publicity – Direct Expenditure" - saving of ₹4320.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34275.00 lakhs) was due to delay in commencement of media campaign activities in India/Abroad and reduction of provision at revised estimates stage

(d) "Other Expenditure – Incentive to accommodation Infrastructure" – saving of ₹199.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 200.00 lakhs) was due to non approval of the revised scheme of "capital incentive" by the Expenditure Finance Committee.

(III) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Tourism - (General) - Promotion and Publicity – Direct Expenditure" – saving of ₹137.25 lakhs (against the sanctioned provision ₹450.00 lakhs) was due to non- receipt of adequate proposals from the State Governments.

(IV) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Tourist Infrastructure-Tourist Accommodation – Product/ Infrastructure Development for Destination and Circuit" – saving of ₹887.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Union Territory Governments.

(V) Under one head saving of ₹73.58 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹988.44 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in August, 2011 and March, 2012 under Major head "3452" - under the following heads:-

(A) "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits" – ₹900.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹898.54 lakhs.

(खा) "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - गुलमर्ग शीत ऋतु खेलकूद परियोजना" - ₹88.44 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹87.44 लाख था ।

(B) "General - Direction and Administration - Gulmarg Winter Sports Project" - ₹88.44 lakhs. Actual excess, however, was ₹87.44 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3452" - "सामान्य" -

(क) "प्रशिक्षण - आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता" - ₹950.00 लाख का अधिक व्यय (₹9050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य व्यय - बाजार अनुसंधान" - ₹114.00 लाख का अधिक व्यय (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत बौद्ध सर्किट के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "3452" – "General" –

(a) "Training – Assistance to IHMs/FCI/IITTM/NCHMCT" – excess of ₹950.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9050.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Other Expenditure – Market Research" – excess of ₹114.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards comprehensive plan for development and implementation of an Integrated Buddhist Circuit.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास"- ₹12909.00 लाख का अधिक व्यय (₹20900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और जारी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601 – Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuit" – excess of ₹12909.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 20900.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to provide Central Financial Assistance to State Governments for ongoing infrastructure projects.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹1.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "5452" - "पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹ 1.00 lakh remained wholly unutilized in one case under Major Head "5452" – "Capital Outlay on Tourism".